फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय SDO शाहपुरा

संख्या 338/13

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	4.7.19	वकील [illegible] / वास्ते तामील प्रतिवादी सं. 2, [illegible] पेश चले नाजायज व [illegible] के द्वारा रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 24/8/19 को पेश हो।	
		उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
	24/8/19	पत्रावली आज पेश हुई आवाज लगाई गई। वादी / प्रतिवादी दोनों पक्ष स्वयं तथा उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं है। प्रकरण प्रतिवादी सं. 2 की तामील प्रकाश दाता गंगाबिशन का पेश होते हुए चला आ रहा है तथा कई मर्तबा दिए जा चुके हैं। चूंकि प्रकरण के प्रतिवादी सं. 2 की मृत्यु की तामील नहीं हुई है जबकि प्रकरण वर्ष 2013 से चला आ रहा है। अतः प्रकरण मुख्य तकनीकी कारणों से खारिज किया जाता है। पत्रावली पटाक्षेप कर दफ्तर नस्ख से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
		उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	